

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015

दूरभाष सं-0612-2215041, email - Courtscdblhar@gmail.com, website -www.scdisabilities.org

पत्रांक-1357/आयुक्ती०

दिनांक-19...अक्टूबर, 2020

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं-95/2019

सेवा में,

निबंधक,

जिला न्यायालय, मुजफ्फरपुर।

प्रकरण में :- श्री शिवशंकर सहनी, (मो-7079360867), दिव्यांग सेवानिवृत्, जी०डी०वी०पी०एम० शाखा, डाकघर, गोदनपट्टी, भाया-शर्कुद्दीनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर को डाक विभाग से जीवन निर्वाह हेतु पेंशन की स्वीकृति हेतु प्राप्त परविद पत्र।

बनाम :- पोस्टमास्टर, शाखा डाकघर, गोदनपट्टी, भाया-शर्कुद्दीनपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में माननीय न्यायालय राज्य आयुक्त, बिहार, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-13.10.2020 के आलोक में वाद में अग्रेतर कार्रवाई हेतु कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करने हेतु वाद की मूल संचिका पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-84 के अंतर्गत कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दिव्यांगजन से संबंधित विषय के निष्पादन हेतु अधिसूचिता किया गया है।

अतः अनुरोध है कि संदर्भित संचिका के निष्पादन हेतु कनीयतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, मुजफ्फरपुर को पृष्ठांकित करना चाहेंगे।

अनुलंगनक-यथोक्त।

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

